समाहरणालय, अररिया
(जिला स्थापना प्रशाखा)
दूरभाष सं. : 06453-222001 (का0)
: 06453-222102 (आ0)
फैक्स सं. : 06453-222124
email Id : dm-araria.bih@nic.in

आदेश

प्रधान सचिव -सह- मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी (सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार, पटना के पत्रांक-बि0प्र0सु0मि0सो0/आवंटन 01/2016 सो0 644 दिनांक 19.05.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के छः माह के व्यय हेतु सामान्य प्रशासन विभाग से मांग संख्या 33 के अंतर्गत योजना मद बजट मुख्य शीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ-उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-092 -अन्य कार्यक्रम-उप शीर्ष-0122-बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (विपत्र कोड-P2052000920122) राज्य योजना स्कीम कोड-GEN5513 के अन्तर्गत विषय शीर्ष 3106 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में आर0टी0पी0एस0 जेनरेटर व्यय मद में मो0 14,81,000.00 (चौदह लाख एकासी हजार) रुपये इस जिला के बैंक खाता में हस्तान्तरण के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

उक्त विषय शीर्ष 3106 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में से प्राप्त आवंटन मो0 10,80,000.00 (दस लाख अस्सी हजार) रुपये निम्नांकित पदाधिकारियों के नाम के सम्मुख अंकित राशि उपावंटित की जाती है।

वेतनादि मद के अलावा मद में (3106) उपलब्ध करायी जा रही राशि का विवरण :-

क्र0	पदाधिकारी का नाम	Generator Exp. (RTPS Counter)	अभ्युक्ति
1	अंचल अधिकारी, अररिया	1,20,000.00	
2	अंचल अधिकारी, जोकीहाट	1,20,000.00	
3	अंचल अधिकारी, पलासी	1,20,000.00	
4	अंचल अधिकारी, कुर्साकांटा	1,20,000.00	
5	अंचल अधिकारी, सिकटी	1,20,000.00	
6	अंचल अधिकारी, रानीगंज	1,20,000.00	
7	अंचल अधिकारी, फारबिसगंज	1,20,000.00	
8	अंचल अधिकारी, नरपतगंज	1,20,000.00	
9	अंचल अधिकारी, भरगामा	1,20,000.00	
	कुल राशि :-	10,80,000.00	

दस लाख अस्सी हजार रुपये।

विषय शीर्ष 3106 वेतनादि के आलावा मद में उपलब्ध करायी जा रही राशि का उपयोग प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय के आर0टी0पी0एस0 काउंटर पर निर्बाध विद्युत आपूर्त्ति हेतु भाड़े पर रखे गए जेनरेटर के भाड़ा भुगतान हेतु किया जाएगा।

दिनांक 11.08.2011 को आहुत जिला क्रय समिति की बैठक में समिति द्वारा बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक प्रखंड में 05 केभी0ए0 का जेनरेटर प्रतिदिन 8 घंटा ईंधन, आपरेटर, रख-रखाव सहित प्रतिदिन मो0 675.00 (छः सौ पचहत्तर) रुपये पर रखने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया, जिसकी सूचना इस कार्यालय के ज्ञापांक 868/स्था0 दिनांक 12.08.2011 द्वारा तत्क्षण सभी प्रखंडों को दी गई है।

उपावंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए तथा औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरांत ही भुगतान की कार्रवाई की जाय।

बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल एवं अन्य समतुल्य वित्तीय प्रावधानों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाए ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके।

उपावंटित राशि का विचलन अन्य इकाई मद में नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त उपावंटित राशि के अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर तर्क संगत रुप से राशि की अधियाचना पूर्व में कुल उपावंटित राशि, अद्यतन व्यय एवं अवशेष राशि के साथ की जाय।

जिला नजारत उप समाहर्त्ता, अररिया उपावंटित राशि का चेक सभी संबंधित पदाधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

सभी संबंधित पदाधिकारी व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र अविलम्ब ससमय जिला नजारत उप समाहर्त्ता, अररिया को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि विभाग को जिला स्तर से संकलित उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजा जा सके।

जिला पदाधिकारी,
अररिया

ज्ञापांक- 521 /स्था0, दिनांक- 13/7 /2017

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला नजारत उप समाहर्त्ता, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी अंचलाधिकारी, अररिया जिला को सूचनार्थ तथा आवश्यक एवं समुचित कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला आई0 टी0 प्रबंधक, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि इसे जिला के वेब-साईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला पदाधिकारी,
अररिया